कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1452 / तकनीकी–07 / 2016 भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2016

प्रति

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय – निष्पादन हेतु लंबित समस्त लीज दस्तावेजों का दिनांक 31.03.2016 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण कराये जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत वरिष्ठ जिला पंजीयकों/जिला पंजीयकों की प्रदेश स्तरीय बैठक दिनांक 17 एवम् 18 मार्च, 2016 में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनेक जिलों में माईनिंग लीज के दस्तावेज निष्पादन हेतु लंबित हैं। इन दस्तावेजों पर दिनांक 14.01.2016 से प्रभावशील नए प्रावधान के अनुसार लीज के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का 0.75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है। स्पष्ट है कि लीज की अवधि के दौरान प्रीमियम तथा रॉयल्टी (रेंट) आदि के रूप में दी जाने वाली संपूर्ण राशि पर उक्तानुसार स्टाम्प शुल्क देय है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया माईनिंग अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि निष्पादन हेतु लंबित समस्त लीज दस्तावेजों का दिनांक 31.03.2016 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्टाम्प शुल्क एवम् रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में शासन को प्राप्त होने वाला राजस्व इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया जा सके। जैसा कि आप अवगत हैं कि पक्षकारों की सुविधा के लिए दिनांक 25 एवम् 27 मार्च, 2016 को अवकाश के दिन भी सभी पंजीयन कार्यालय दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण आदि कार्यों हेतु खुले रहेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 1453 / तकनीकी–07 / 2016 भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2016

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश – माईनिंग अधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क कर निष्पादन हेतु लंबित समस्त दस्तावेजों का अविलंब रजिस्ट्रीकरण कराए जाने हेतु पालनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश